



राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

फोन नं: 0141-2228066, फैक्स नं: 0141-2228065

ई-मेल: rmssc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067

Website: www.rmssc.nic.in


क्रमांक : एफ.04()/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/06-2017-18/2017/527

दिनांक - 11.04.18

कार्यालय ओदश

M/s Moraceae Pharmaceuticals Pvt. Ltd., 40, laxmanpuri Faizabad Road, Lucknow - 226016 को औषधियों की निविदा क्रमांक F.02(156)/RMSC/PROCUREMENT/DRUG/NIB-07/2015/945 दिनांक 24.06.2015 के तहत औषधि Metoclopramide Hydrochloride Syrup IP 5mg/5ml (code no. 478) के क्रयादेश क्रमांक 1319 दिनांक 11.11.2016 के द्वारा 13360 मात्रा, क्रयादेश क्रमांक 2185 दिनांक 17.03.2017 के द्वारा 11050 मात्रा एवं 837 दिनांक 21.06.2017 के द्वारा 11580 मात्रा 45 दिवस में आपूर्ति किये जाने हेतु जारी किये गये थे। फर्म द्वारा समय-समय पर औषधि आपूर्ति किये जाने हेतु निगम से अतिरिक्त समयावृद्धि अनुमत कराई गई।

फर्म द्वारा निर्धारित समय पर एवं अनुमत अतिरिक्त समयावृद्धि में उक्त औषधि के जारी क्रयादेशों के विरुद्ध आपूर्ति नहीं की गई। उक्त औषधि अतिआवश्यक औषधि की श्रेणी में आने के कारण इसके अभाव में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकरण का एजेण्डा तैयार कर दिनांक 07.02.2018 को अनुशासनात्मक समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा गया। अनुशासनात्मक समिति ने दिनांक 20.02.2018 को आयोजित मीटिंग में एजेण्डा संख्या 09 पर विचार-विमर्श कर पाया कि उक्त फर्म को नियमित रूप से तीन क्रयादेश जारी किए जाने के उपरान्त भी औषधि की कोई मात्रा आपूर्ति नहीं की गई है, जो आर.एम.एस.सी.एल. से हुए अनुबन्ध का उल्लंघन है। अतः अनुशासनात्मक समिति के निर्णय की अनुशंसा के आधार पर निविदा शर्त संख्या 13(8) के अनुसार निर्माता फर्म M/s Moraceae Pharmaceuticals Pvt. Ltd. की औषधि Metoclopramide Hydrochloride Syrup IP 5mg/5ml (code no. 478) को यह आदेश जारी करने की दिनांक से दो वर्ष के लिए डिबार किया जाता है। निगम द्वारा जारी पूर्व क्रयादेशों की आपूर्ति पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।


(महावीर प्रसाद शर्मा) 11/4
प्रबन्ध निदेशक




क्रमांक : प. 4()/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/सप्लाई/2018/

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महाराष्ट्र।
4. मिशन निदेशक, एन.एच.एम, जयपुर।
5. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर।
6. निदेशक PH/RCH/HA/AIDS/MSU/IEC चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
7. Drug Controller General (India) New Delhi.
8. औषधि नियंत्रक, राजस्थान/महाराष्ट्र।
9. कार्यकारी निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण/वित्त), आरएमएससी, जयपुर।
10. M/s Moraceae Pharmaceuticals Pvt. Ltd., 40, laxmanpuri Faizabad Road, Lucknow – 226016
11. गार्ड फाइल।


विशेषाधिकारी
आरएमएससी